निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 228/2019 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

आवास फाईनेन्स लि॰ (पूर्व में ए यू हाउसिंग फाईनेन्स लि॰) पंजीकृत पता 201–202 द्वितीय फ्लोर साउथ एण्ड स्क्वायर, मानसरोवर औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. मैहेन्द सिंह गुर्जर पुत्र चन्दालाल गुर्जर
   निवासी कोलायना भानपुर कला, जयपुर,
   दूसरा पता बुक नं॰ 01, मिसल नं॰ 63, पट्टा नं॰ 30, संकल्प नं॰ 03, ग्राम कोलायना, ग्राम पंचायत इन्द्रगढ, पंचायत समिति जमवारामगढ, जिला जयपुर ।
2. श्रीमती सुप्यार देवी पत्नी श्री चन्दाराम
   निवासी कोलायना, भानपुर कला, जयपुर।
3. अनिल कुमार कुमार गुर्जर पुत्र श्री घासीराम गुर्जर
   निवासी वार्ड नम्बर 17, शाहपुरा जयपुर ।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थित :– श्री महेश शर्मा अधिवक्ता वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश दिनांक 10-10-2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 08.02.2016 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री महेन्द्र सिंह गुर्जर के स्वामित्व की सम्पत्ति बुक नं॰ 01, मिसल नं॰ 63, पट्टा नं॰ 30, संकल्प नं॰ 03, ग्राम कोलायना, गाम पंचायत इन्द्रगढ, पंचायत समिति जमवारामगढ, जिला जयपुर क्षेत्रफल 210.11 वर्गगज को बन्धक रख कर 5,00,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 04.07.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

2. प्रकरण दर्ज किया जाकर न्यायहित में ऋणी को सूचना पत्र रजिस्टर्ड जारी किया गया। अप्रार्थी उपस्थित नही हुआ है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 04.07.2019 को धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। इसके अतिरिक्त दो दैनिक समाचार पत्र क्रमशः दैनिक नव ज्योति एवं इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 05.05.2019 को धारा 13(2) का नोटिस प्रकाशित कराया गया है। इसके बावजूद बकाया ऋण राशि जमा नहीं कराई गई है। नोटिस प्रकाशित समाचार पत्रो की फोटो प्रति प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है। अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक संपत्ति अप्रार्थी बुक नं॰ 01, मिसल नं॰ 63, पट्टा नं॰ 30, संकल्प नं॰ 03, ग्राम कोलायना, गाम पंचायत इन्द्रगढ, पंचायत समिति जमवारामगढ, जिला जयपुर क्षेत्रफल 210.11 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।
5. आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो ।
6. आदेश आज दिनांक 10-10-2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(जगरूप सिंह यादव)

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)